उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग
संख्या-2/165/53-2013-2(32)/13
लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी, 2014

<u>कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र</u>

जनपद फरूखाबाद के कायमगंज में दुग्ध संकलित कराने की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में वित्तीय स्वीकृति (अनुदान सं0-16) के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-1639/53-2013-2(32)/13, दिनांक-03 जनवरी, 2014 के पृष्ठांकन में त्रुटिवश पृष्ठांकन संख्या-1336(1)/53-2013 अंकित हो गया है। शासनादेश संख्या-1639/53-2013-2(32)/13, दिनांक-03 जनवरी, 2014 के 'पृष्ठांकन संख्या-1336(1)/53-2013 के स्थान पर 'पृष्ठांकन संख्या-1639(1)/53-2013' पढ़ा जाय। शासनादेश की शेष व्यवस्था यथावत रहेगी। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

राम बहादुर
सचिव।

<u>संख्या-165(1)/53-2013, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
5- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
7- दुग्धशाला विकास अधिकारी, कानपुर।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/राज्य योजना आयोग-3
11- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्या अधिकारी।
12- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
14- जिलाधिकारी, फरूखाबाद।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम लखन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in